दिनांक 13.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 13/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना इगलास

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 13.04.2024 को थाना इगलास व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेवनपुर चौराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त श्रीकृष्ण को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इगलास पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इगलास पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—श्रीकृष्ण निवासी हस्तपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना निवाड़ी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना का अनावरण**
- **लूटे गये सोने—चॉदी के आभूषण**
- **12 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 13.04.2024 को थाना निवाड़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निवाड़ी रोड मोदीनगर से अभियुक्त 1—योगेन्द्र उर्फ पप्पू 2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 3—अकबर

4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, 12 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना निवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना निवाड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेन्द्र उर्फ पप्पू निवासी पदेडा थाना व जनपद बागपत हालपता–राधा गार्डन थाना गंगानगर जनपद मेरठ।

2–अकबर निवासी बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3–02 अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण।

2–12 हजार 500 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना शालीमार गार्डन

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 3400/–रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनॉक:12.04.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजेन्द्र नगर सेक्टर–03 पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की

घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त फैसल उर्फ मेंटल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 3400/-रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लगभग डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-फैसल उर्फ मेंटल निवासी शहीदनगर थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

बरामदगी

1-लूट के 3400/-रूपये नगद।

2-चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेही घाट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **17 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **01 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 13.04.2024 को थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवगढ़ सिसौना के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्टी संचालित कर रहा अभियुक्त चन्द्रिका को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 17 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– चन्द्रिका निवासी ग्राम भैसी बेलहा थाना सकरन जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–17 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–01 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर ।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–02

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 70 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 12.04.2024 को थाना फेस–02 व नारकोटिक्स सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गन्दा नाला रोड शमशान घाट के पीछे से अभियुक्त 1–मो0 इरफान 2'–अलीमुल को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर जे0पी0 फ्लाई ओवर के पास से अभियुक्त 3–निताई को गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 70 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त निताई के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–02 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 इरफान निवासी फैजुल्लागंज थाना इस्लाम नगर जनपद बदायूँ हालपता–ग्राम सदरपुर थाना सेक्टर–39 , गौतमबुद्धनगर।

2–अलीमुल निवासी पत्थरसन थाना साहिबगंज जनपद कूचबिहार, पश्चिम बंगाल हालपता–गली नं0–6 बरौला थाना सेक्टर–49 , गौतमबुद्धनगर।

3–निताई निवासी आजादपुर थाना कुमारगंज जनपद दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल हालपता–सेक्टर–44 नोएडा थाना सेक्टर–39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 70 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बदायूँ/थाना उसावॉ

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **03 कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 13.04.2024 को थाना उसावॉ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम राजानगला को जाने वाली सड़क पर पुलिया के किनारे बेंसमेन्टनुमा अधबना मकान से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त रणवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उसावॉ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रणवीर निवासी ग्राम गूरा बरेला थाना उसावॉ जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–03 कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

———